भाग क

राजस्व प्राप्तियां

निम्नलिखित विवरण में स्थूल श्रणियों द्वारा वर्ष 2003-2004 के लिए राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का सार दिया गया है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है। इस विवरण के बाद दी गई टिप्पणियों में विभिन्न भागों और लेखा शीर्षो के अनुसार ब्यौरे भी दिए गए हैं, जिनके साथ दी गई संक्षिप्त टिप्पणियों में बजट और संशोधित अनुमान 2002-2003 के बीच अंतर और संशोधित अनुमानों तथा 2003-2004 के बजट अनुमानों के अंतर को स्पष्ट किया गया है।

संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 जिसे दिनांक 1/4/1996 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी किया गया हैं, के अनुसार क्रमश अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित करों तथा शुल्कों अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों तथा शुल्कों पर अधिभार तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लगाए गए किसी उपकर को छोडकर केंद्र की सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए तथा संग्रहित किए जाएंगें तथा वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा जैसा निर्धारित किया जाए उस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे।

वर्ष 2000-2005 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वितरण का तरीका ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद जारी राष्ट्रपति के आदेश में निर्धारित किया गया है।

(करोड़ रुपए)

		बजट 2002-2003	संशोधित 2002-2003	बजट 2003-2004
I.	**कर राजस्व**			
	निगम कर	48616	44700	51499
	आय पर कर	42524	37300	44070
	व्यय-कर	300	300	...
	धन कर	145	145	145
	सीमा शुल्क	45193	45500	49350
	संघ उत्पाद शुल्क	91433	87383	96791
	सेवा कर	6026	5000	8000
	संघ राज्य क्षेत्रों के कर	513	540	557
	अन्य कर	1050	1050	1115
	जोड़-कर राजस्व	**235800**	**221918**	**251527**
	जिसमें से व्यय के एवज में घटाया गया (राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) को वित्तपोषित करने के लिए अधिभार)	1600	1600	3600
	सकल कर राजस्व का शेष	234200	220318	247927
	घटाइए-राज्यों का हिस्सा#:	**61235**	**56141**	**63758**
	केन्द्र का निवल कर राजस्व	**172965**	**164177**	**184169**
II.	**कर-भिन्न राजस्व**			
	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ	60206	60765	57021
	संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व	508	523	546
	अन्य कर-भिन्न राजस्व	11426	11471	12199
	जोड़-कर-भिन्न राजस्व	**72140**	**72759**	**69766**
	निवल-केन्द्र का राजस्व	**245105**	**236936**	**253935**

 # केंद्रीय करों/शुल्कों में हिस्से का राज्यन्वार वितरण अनुबंध-I में दर्शाया गया है।